(d) if so, the salient features thereof?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) to (d). The Government are aware that inter-corporate investment is an important instrument of gaining corporate control. Restrictions on the power of public limited companies to make investments in other companies and for the Central Government exercising the necessary regulatory/control over investments beyond specified limits. already exist in Section 372 of the Companies Act. Further, the Sachar Committee has made certain recommendations in Chapter IX of its Report (copies laid on the Table of the House on 30-8-78) for restricting future inter-company investments to only specied purposes and for the imposition of an absolute limit on such investments. These recommendations are under Government's active consideration and such of those as are accepted by Government will be given effect to by brinning in necessary amending lelgislaltion in due course.

Gas Connection in Delhi

97. SHRI JANARDHANA POOJARI: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have decided to give more gas connections in Delhi; and

(b) if so, what are the details in this regard and whether the waiting list has been exhausted?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) The present plan of oil companies envisages giving more connections in Delhi.

(b) It is expected to liquidate the waiting list held by the distributors of various oil companies as on 31-3-77 by early 1980.

उदयपुर और अजमेर के बीच क्षेत्र में पन्नों का पाया जाना

98. श्री दौलतराम सारण : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के किन-किन स्थानों में पन्ने पाये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उदयपुर और अजमेर के बीच 150 मील के क्षेत्र में पन्ने के वेन हैं और क्या इस बारे में कभी कोई सर्वेक्षण कराया गया है

(ग) क्या उपरोक्त क्षेत्र के गैर-सरकारी क्षेत्र में चार पट्टे की खानों में पर्यवेक्षण की कमी के कारण ठीक प्रकार से कार्य नहीं हो रहा है और इस क्षेत्र के कारण पन्ना पत्थर बड़े पैमाने पर गुजरात और जयपुर में चोरबाजारी में भेजे जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व को भारी हानि होती है ; और

(घ) उपरोक्त क्षेत्र में पाये गये पन्नों से सरकारी राजस्व में वृद्धि करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं और किये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) राजस्थान में अजमेर जिले के राजगढ़, गुवास और दुवानी तथा उदयपुर जिले के कालीगुमान और देवी स्थानों पर पन्ना पाया गया है ।

(ख) अभी तक के सर्वेक्षण के फलस्वरूप अजमेर और उदयपुर जिलों में फैली 195 किलोमीटर लम्बी पट्टी में पन्नाधारी क्षेत्रों का पता चला है जिसमें कहीं-कहीं पर पन्ने के छिटपुट भंडार पाए गए हैं ।

(ग) राज्य सरकार के अनुसार, पन्ने की खुदाई, निकासी, सफाई और छटाई आदि कार्य राज्य सरकार के प्रतिनिधि की मौजूदगी में किया जाता है । इन क्षेत्रों से पन्ने की चोरी के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

(घ) राज्य सरकार ने आवश्यक उपाय किए हैं जैसे पट्टे की मंजूरी में विशेष शर्तों को जोड़ना, महत्वपूर्ण खानों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति तथा जिन खनन पट्टों का उपयोग नहीं हो रहा है, उनके बारे में आवश्यक उपाय करना ।